महिला स्वसहायता समूहों की भूमिका

गौठानों के संचालन, गोबर से जैविक खाद बनाने व गौठानों में बाड़ी विकास सहित अन्य आय मूलक गतिविधियों के संचालन में स्वसहायता समूह की महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खासकर कोरोना संकटकाल में समूह की महिलाओं ने जैविक खाद बनाने से लेकर गौठानों में साग-सब्जियां उगाकर तथा गोबर से कंडे, गौकाष्ठ, दीये, गमले आदि बनाकर ग्राम विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाएं रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खरीदे गये गोबर से वर्मी टैंकों में जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गौठानों में बनाये गये वर्मी कम्पोस्ट टैंक मनरेगा के तहत बनाए गए हैं। वर्मी टैंक बनाने में बिहान समूह की महिलाओं का योगदान रहा है। गौठानों में संग्रहित गोबर से गुणवत्तापूर्ण वर्मी खाद बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण महिलाओं एवं गौठान समिति के सदस्यों को कृषि विभाग से प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा दिया गया है।

ग्राम गौठान समितियों में चरवाहे भी शामिल

गौठानों के व्यवस्थित संचालन के लिए ग्राम गौठान समितियों का गठन किया गया है। इसमें कुल 13 सदस्य हैं। इस समिति में गांव के चरवाहों को भी शामिल किया गया है। इससे चरवाहों को भी समिति में प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। उन्हें इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि गांव के मवेशियों को चराने का जिम्मा उन्हीं पर रहता है। पंचायत सचिव को इस समिति का पदेन सचिव बनाया गया है। इस समिति में गांव के युवाओं को भी मौका दिया जा रहा है। पांच सक्रिय युवा प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करने का प्रावधान है, जिसमें 2 महिला व तीन पुरूष होंगे। स्वसहायता समूह प्रतिनिधि से एक महिला को भी शामिल किया जाएगा। कृषि सखी/पशु सखी या किसान मितान प्रतिनिधि भी एक होंगे।

सामाजिक संगठनवार लाभान्वित पशुपालक

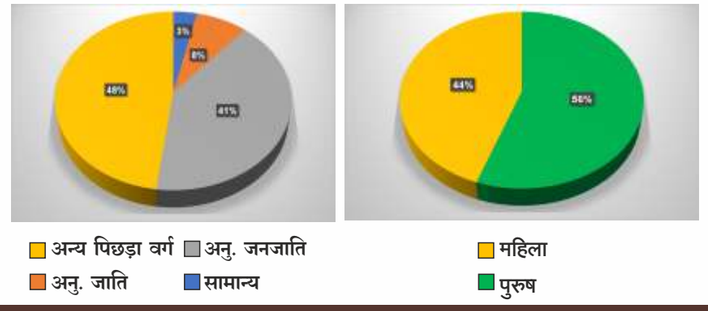

भुगतान तथा अन्य उपलब्धियां

- योजना के प्रारंभ 20 जुलाई 2020 से लेकर 11 अक्टूर 2021 तक गोबर संग्राहकों व विक्रेताओं को 104.41 करोड़ रूपए
- महिला स्वसहायता समूहों को 25.02 करोड़ रूपए
- गौठान समितियों को 37.90 करोड़ रूपए
- 52.21 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी
- 1 लाख 81 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित
- 84 हजार 469 भूमिहीन लोग भी लाभान्वित
- गौठानों में विभिन्न रोजगारमूलक गतिविधियों से जुड़े 9 हजार 211 महिला समूह
- 10 हजार 501 गौठान स्वीकृत
- 7 हजार 460 गौठानों का निर्माण पूरा
- 1160 गौठान स्वावलंबी
- वर्मी कम्पोस्ट के लिए 90 हजार पक्के टांके स्वीकृत
- 79 हजार 232 टांकों का निर्माण पूरा
- 7 लाख 17 हजार 839 वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन
- 5 लाख 12 हजार 309 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की बिक्री
- 3 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कंपोस्ट का उत्पादन
- 01 लाख 25 हजार क्विंटल से अधिक सुपर कंपोस्ट की बिक्री

गौठान रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित

गोधन न्याय योजना सहित प्रदेश के गौठानों में मशरूम उत्पादन, कुक्कुट उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, राइस मिल, कोदो-कुटकी और लाख प्रोसेसिंग जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। गौठानों में अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियां संचालित कर महिलाओं और ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा गया है। गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित कर सुराजी गांव की कल्पना को साकार किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना

गोधन न्याय योजना

- फसलों की चराई की समस्या से मुक्ति
- जैविक खाद निर्माण • खेतों की उत्पादकता वृद्धि
- गोबर की सरकारी खरीद @ 2 रू. प्रति किलो
- कमजोर तबकों का आर्थिक सशक्तीकरण

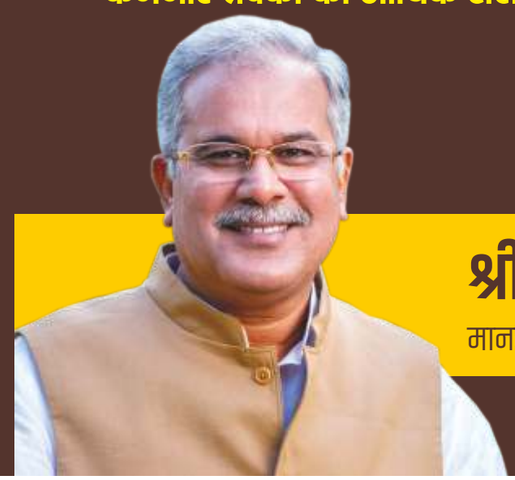

श्री भूपेश बघेल

माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क

उद्देश्य

छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं के कारण खेतों में तैयार फसलों को बहुत नुकसान होता था। किसानों को फसल बचाने के लिए रात-रात भर जागना पड़ता था और अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता था। आवारा पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए सभी 11 हजार ग्राम पंचायतों में 3 से 5 एकड़ तक भूमि आवंटित कर पशुधन के रहने, खाने, चिकित्सा आदि की व्यवस्था की योजना बनाई गई है। इस स्थान को गौठान कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में ऐसे 7 हजार से अधिक गौठान बना दिए गए हैं। अब ये गौठान किसानों और ग्रामीणों के लिए हितकारी अनेक योजनाओं के पालन व बहुआयामी गतिविधियों के केन्द्र बन रहे हैं।

- पशुपालकों की आय में वृद्धि।
- पशुधन की खुली चराई पर रोक।
- जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा एवं रासायनिक उर्वरक उपयोग में कमी।
- खरीफ एवं रबी फसल सुरक्षा एवं द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार।
- स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता।
- स्थानीय स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर।
- भूमि की उर्वरता में सुधार।
- विष रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं सुपोषण।

पात्रता और मापदंड

- गोबर संग्राहक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
- गोबर संग्राहक के पास आधार कार्ड हो।
- गोबर संग्राहक अपने पशुओं की संख्या की जानकारी दर्ज कराएँ।
- गोबर संग्राहक का खुद बैंक खाता हो।
- गोबर संग्राहक के पास मोबाइल नंबर हो।
- गोबर संग्राहक का पहचान पत्र हो।

- गोबर खरीदी दर - 2 रूपये प्रति किलो
- वर्मी कंपोस्ट बिक्री दर - 10 रूपये प्रति किलो
- सुपर कंपोस्ट बिक्री दर - 6 रूपये प्रति किलो
- सुपर कंपोस्ट प्लस बिक्री दर - 6.50 रूपये प्रति किलो

गोबर का क्रय एवं भुगतान की प्रक्रिया

- गौठान समितियों द्वारा उसी पंचायत का गोबर क्रय किया जा सकेगा। गौठान समिति द्वारा समय-सारणी निर्धारित की जाएगी।
- गौठान में गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशु पालकों से गोबर का कय शासन द्वारा निर्धारित दर पर किया जा रहा है। वर्तमान में शासन द्वारा 2 रू. कि.ग्रा. (परिवहन व्यय सहित) की दर निर्धारित है। पशुपालक गोबर का विक्रय स्वैच्छिक रूप से कर सकेंगे।
- गोबर की गुणवत्ता हाथ में उठाये जाने लायक अर्धठोस प्रकृति की होगी। गोबर में कांच, मिट्टी, प्लास्टिक इत्यादि नहीं होना चाहिये।
- पशुपालकों से क्रय किये जा रहे गोबर का लेखा विवरण 2 प्रतियों में रखा जायेगा। गोबर क्रय पत्रक में पशुपालक का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिया जाएगा।
- हितग्राहियों से गोबर ही लिया जायेगा, गोबर के कोई उत्पाद यथा कंडा इत्यादि नहीं लिए जाएंगे। बायोमॉस (जैविक अपशिष्ट) स्वेच्छा से गौठानो में प्रदाय किया जा सकता है, परंतु इसके लिये कोई भी राशि देय नहीं होगी।
- गौठान में रहने वाले पशुओं द्वारा उत्सर्जित गोबर गौठान के स्वत्व में होगा, उसके लिये पशुपालक को पृथक से राशि देय नहीं होगी।
- गौठान में पशुओं हेतु यथासंभव हरा चारा की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है।
- क्रय उपरांत गोबर को संग्रहित कर गौठान में सामान्यतः अंदरूनी क्षेत्र में निर्मित CPT में रखा जाएगा तथा 15 से 20 दिन के उपरांत वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने में उपयोग किया जा रहा है।
- क्रय किए गए गोबर की राशि का भुगतान प्रत्येक 15 दिवस में गौठान समिति द्वारा हितग्राहियों को किया जा रहा है।
- गोबर के भार मापन हेतु कैलिबरेटेड फर्मा/तराजू का उपयोग किया जा रहा है।
- गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की किसी भी प्रक्रिया/चरण में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति/सदस्य को शामिल नहीं किया गया है।

वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने हेतु प्रशिक्षण

- कलेक्टर द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक गौठान के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
- वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिये चिन्हांकित स्व-सहायता समूह को 2 चक्र में कृषि विज्ञान केन्द्र तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ऐसे विकासखण्ड जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नहीं हैं, जनपद पंचायत के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समस्त गौठानों में वर्मीकम्पोस्ट निर्माण के पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन सुनिश्चित किया गया है।
- समस्त गौठानों में समयावधि में प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने का दायित्व कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उप संचालक कृषि, उप संचालक पशु चिकित्सा को दिया गया है।
- शहरी क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्य राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) अंतर्गत संपादन किया गया है।

वर्मी कम्पोस्ट टांका निर्माण

- प्रत्येक गौठान में गोबर की उपलब्धता के अनुसार वर्मी टांका बनाया जा रहा है । वर्मी टांका का निर्माण मनरेगा के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से किया गया है। नगरीय क्षेत्र में वर्मी टांका का निर्माण संबधित नगरीय निकायों द्वारा किया गया है।
- जिलेवार भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये वर्मी टांका निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बनाया गया है, ताकि केंचुआ की जीवितता प्रभावित न हो, साथ ही वर्मी वॉश इत्यादि का एकत्रीकरण हो सके।
- वर्मी टांका 3.6m×1.5m×0.75m साईज का मनरेगा प्राक्कलन के अनुसार एवं पशुओं से प्राप्त हो रहे गोबर की मात्रा की आवश्यकतानुसार किया गया है।